नम्बर व तारीख हुक्काम को हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्काम को हुक्म की तामील में जारी हुए
	16 8/22	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः आवश्यक पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 1/12/22 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
	01/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे वाद पत्र मे वकील वादी/वादी ने कही भी भूमि की किस्म/वर्गीकरण नही लिखा गया है परन्तु संलग्न दस्तावेजों मय जमाबंदी व खसरा मिलान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र में वर्णित ~~आराजी~~ भूमि को सन 1955 में ही पट्टा जारी कर आबादी घोषित कर दी गयी थी। जो 1972 मे राजस्व रेकार्ड मे आबादी दर्ज हुयी। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार भी वाद पत्र मे वर्णित भूमि आबादी किस्म की है। राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) मे भूमि की परिभाषा दी गयी है जिसमे स्पष्टतः लिखा गया है कि "आबादी भूमि इसमे सम्मिलित नही है..."	

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.01.04 17:23:15 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः राजस्थान टैनेन्सी अधिनियम वाद मे वर्णित भूमि पर लागू नही होता है अतः उपरोक्त अधिनियम की धारा 88, 89, 92-क, 188 उक्त भूमि पर लागू नही होता है। अतः वाद उपरोक्त धाराओ और संदर्भ मे व भूमि की परिभाषा के संदर्भ मे पोषणीय नही है अतः इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] 01/12/22	

रा. मु. म. 230-3-10-5,00,000 प्रपत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.01.04 17:23:15 IST
Reason: SelfAttested